भाजपा ने जयपुर शहर के 276 स्थानों पर चलाया सघन स्वच्छता अभियान

- 'स्वच्छता हमें एक सकारात्मक सार्वजनिक छवि बनाने में मदद करती है, स्वस्थ्य जीवन और समृद्धि का आधार है स्वच्छता'
- प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया स्वच्छता अभियान बन चुका है जन आंदोलन : सी.पी.जोशी

जयपुर। भाजपा की ओर से प्रदेश में सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे तीन दिवसीय सघन स्वच्छता अभियान के तहत आज बूथ, मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं सहित भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों द्वारा जयपुर शहर के करीब 276 से अधिक मठ, मंदिर, गुरूद्वारों और आश्रमों सहित उनके आसपास स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, सांसद रामचरण बोहरा, मालवीय नगर विधायक कालीचरण सर्राफ और जयपुर शहर जिलाध्यक्ष राघव शर्मा सहित पार्टी पदाधिकारियों ने आज मोती डूँगरी गणेश मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया। सघन स्वच्छता अभियान के समन्वयक सोमकांत शर्मा ने मानसरोवर गुरूद्वारे से स्वच्छता अभियान की शुरूआत की।

वहीं कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ झोटवाड़ा स्थित झारखंड महादेव मंदिर पहुंचे और स्वच्छता अभियान में भाग लिया। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति संयोजक नारायण पंचारिया ने अराध्य देव गोविंद देवजी मंदिर प्रांगण में स्वच्छता अभियान में भाग लिया वहीं सिविल लाईन्स विधायक गोपाल शर्मा ने न्यू सांगानेर रोड़ स्थित शिव मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया। हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य महाराज के नेतृत्व में पौंड्रिक मंडल से स्वच्छता अभियान की शुरूआत की गई इस दौरान मंडल में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिसमें गोविंद देव जी मंदिर, काले हनुमान जी मंदिर, जागेश्वर महादेव मंदिर, ब्रह्मपुरी , शास्त्री नगर मंडल में बिलेश्वर महादेव मंदिर, मीणों का पार्क, रामदेव मंदिर, ओन्डा महादेव मंदिर, खंडेलवाल महाविद्यालय जल महल मंडल के अंतर्गत भी सभी पार्षदों ,कार्यकर्ताओं ने तेजाजी महाराज का मंदिर जयसिंहपुरा खोर में अलग- अलग धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सुशासन पखवाड़ा के अंतर्गत आज धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता कार्यक्रम की शुरूआत मोती डूँगरी स्थित गणेश मंदिर से की। इससे पूर्व उन्होंने भगवान गणेश के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान आज जन आंदोलन बन चुका है। देश की जनता ने मोदी आह्वान को अपना अभियान बना लिया। जोशी ने कहा स्वच्छ जयपुर स्वच्छ राजस्थान के तहत कल पूरे शहर में महापुरूषों की प्रतिमाओं को स्वच्छ कर उनका माल्यार्पण किया और आज धार्मिक स्थलों पर बडे स्तर पर स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि पार्कों को भी स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए इस अभियान से जोड़ा गया है क्योकि पार्क लोगों के बैठने, बातचीत करने और योग का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता एवं आमजन भी इस अभियान में सहभागी बने है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कई पीढ़ियों ने जो सपना देखा वह 22 जनवरी को साकार होने जा रहा है। दिव्य और भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार है जिसमें प्रभु श्रीराम विराजमान होंगे, इस कार्य के लिए भगवान श्रीराम ने भी नरेन्द्र मोदी को चुना है।

500 स्थानों पर आज स्वच्छता अभियान

जयपुर, (का.सं.)। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को भाजपा सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। इसके अन्तर्गत भाजपा की ओर से जयपुर शहर में तीन दिवसीय सघन स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें प्रतिदिन भिन्न-भिन्न सार्वजनिक स्थानों पर यह अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत कल जयपुर शहर के करीब 500 से अधिक सार्वजनिक पार्कों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा।

सघन स्वच्छता अभियान के समन्वयक सोमकांत शर्मा ने बताया कि जयपुर शहर के बूथ, मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं सहित सभी जनप्रतिनिधि गण और प्रदेश पदाधिकारी स्वच्छता अभियान में शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बुधवार को मुख्यमंत्री निवास (ओटीएस) पर राजस्थान पुलिस सेवा परिषद के पदाधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष रघुवीर सैनी, महासचिव सुलेश चौधरी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

वाहन चालकों के हितों का रखा जाएगा पूरा ध्यान : संभागीय आयुक्त

- ट्रक, टैक्सी, बस यूनियन की हड़ताल खोलने के लिए पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक
- उच्च स्तरीय मंथन एवं पदाधिकारियों से वार्ता के बाद ही लागू होगा नया कानून

जयपुर, (का.सं.)। नए कानून को लेकर प्रदेशभर में जारी ट्रक, टैक्सी, बस यूनियन की हड़ताल को खत्म करवाने के लिए बुधवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय में बैठक का आयोजन हुआ।

संभागीय आयुक्त डॉ. आरुषी अजेय मलिक की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में ट्रक ऑपरेटर्स, मिनी बस ऑपरेटर्स, ट्यूरिस्ट टैक्सी ड्राईवर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि वाहन चालकों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने यूनियन पदाधिकारियों से हड़ताल खत्म करने की अपील भी की।

बैठक में जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि नया कानून तुरन्त लागू नहीं हो रहा है। अभी इस कानून पर उच्च स्तरीय मंथन चल रहा है इसलिये आप अपने वाहन चालकों में कानून को लेकर व्याप्त भय एवं भ्रांति दूर करने का प्रयास करें।

बैठक में यूनियन पदाधिकारियों ने कानून से जुड़ी अपने विचार भी प्रस्तुत किये। संभागीय आयुक्त ने कहा कि यूनियन पदाधिकारियों से वार्ता एवं सहमति के बाद इस कानून को लागू किया जाएगा। ऐसे में इस कानून को लेकर व्याप्त भय के माहौल को खत्म करने के प्रयास किये जाने चाहिए एवं अपने वाहन चालकों को आज ही पुन: काम पर लौटने के लिए निर्देशित करें।

उन्होंने कहा कि यूनियन पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एल.पी.जी, पेट्रोल-डीजल, दवाईयों सहित आमजन से जुड़ी अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। बैठक में पुलिस, परिवहन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सहित अन्य विभागों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

मदन दिलावर ने संभाला पदभार

जयपुर। राजस्थान की भजन लाल सरकार में कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने श्री कृष्ण जन्म भूमि का मुद्दा उठाकर सियासत को गरमा दिया है। दिलावर ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि तो मिल गई है, श्री कृष्ण जन्मभूमि भी मिल जाए तो बेहतर होगा। वरना कानून और देश की अदालतें अपना काम करेंगी।

कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने मंत्री बनने के बाद अपना पदभार संभाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो संकल्प पत्र में वादे किए थे, उन पर काम करना है। जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है। जनता ने हमें सरकार में बिठाया है। अब उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरा मंत्रिमंडल काम करेगा। दिलावर ने कहा कि "जो भी जिम्मेदारी मुझे मुख्यमंत्री भजनलाल देंगे मैं उस पर काम करूंगा। जल्दी ही विभागों का बंटवारा हो जाएगा और हम उसे पर काम करेंगे।"

श्रीराम मंदिर बनाने के संकल्प पर बात करते हुए दिलावर ने कहा कि "जब श्री रामलला टेंट के अंदर थे तो मैं बिस्तर में कैसे सो सकता था। मदन दिलावर ने कहा कि मैं परिवार और कार्यकर्ताओं के साथ रामलला के दर्शन करने जाऊंगा, उन्होंने कहा कि ढांचे को ढहाने और अस्थायी मंदिर बनाने में मेरा भी आंशिक योगदान था। मैंने फरवरी 1990 में संकल्प लिया था कि जब तक राम मंदिर नहीं बन जाएगा, तब तक माला नहीं पहनूंगा और जब तक कश्मीर से धारा 370 नहीं हट जाती, तब तक आरामदायक बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। मैं सालों से जमीन पर चटाई-दरी बिछाकर सोता रहा हूं, लेकिन मेरा यह संकल्प अब पूरा हो चुका है। 22 जनवरी को रामलला अपने घर मे विराजमान हो जाएंगे। दिलावर ने कहा कि राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि को लेकर तथ्य है कि यहां भगवान राम और भगवान कृष्ण के मंदिर थे। राम जन्मभूमि की पूरी जमीन मिल गई है, अब कृष्ण जन्मभूमि खुद ही दे दें तो अच्छा होगा। अभी भी मैं आग्रह करूंगा कि कृष्ण जन्मभूमि हमें मिल जाए तो बेहतर होगा, वरना कानून अपना काम करेगा। अदालतें अपना काम करेंगी।

22 जनवरी को मांस और शराब की दुकानें बंद रखने की मांग

जयपुर। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह दिवस 22 जनवरी को भाजपा के सिविल लाइन्स से विधायक गोपाल शर्मा ने मांस और शराब की दुकानें बंद रखने का आव्हान किया है। साथ ही जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज महापौर से इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने का भी आग्रह किया है। विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि यह दिन देश की राष्ट्रीय एकता, आस्था से जुड़ा हुआ विशेष दिन है। इस मौके पर देशभर में उत्सव का माहौल होगा ऐसे में शराब और मांस की दुकानें बंद रखी जानी चाहिए।

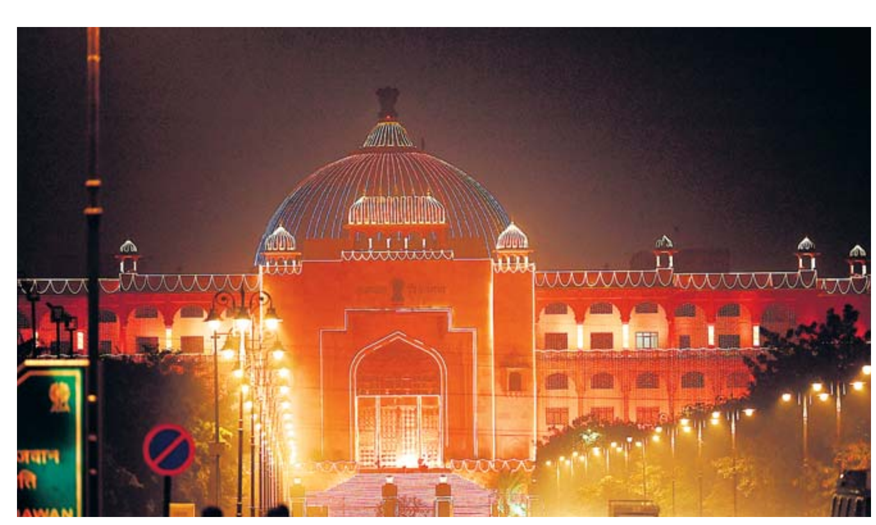

राजधानी जयपुर में डी.जी.-आई.जी. कॉन्फ्रेंस के आयोजन को देखते हुए विधानसभा सहित अन्य प्रमुख जगहों को रोशनी से सजाया गया है।

प्रधानमंत्री की यात्रा से संबंधित निर्देश दिए

जयपुर, (का.सं.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यात्रा को देखते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन परिसर का अनौपचारिक जायजा लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री की यात्रा से संबंधित सुरक्षा और आवश्यक तैयारियों के एक- एक पहलू के बारे में जानकारी लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न व्यवस्थाओं से संबंधित समीक्षा भी की। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन और उनके ठहरने से संबंधित सभी कार्य उन्होंने समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए।

वर्ष 2009 से पहले की नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताएं तीन लाख रुपए मुआवजे की हकदार

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को उचित मुआवजा नहीं मिलने के करीब दो दशक पुराने मामले को तय किया है। अदालत ने कहा है कि वर्ष 2009 में सीआरपीसी की धारा 357 के संशोधन से पहले की भी सभी नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताएं तीन लाख रुपए पाने की हकदार हैं। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश पीडिता के पिता की ओर से दायर याचिका का निस्तारण करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह आदेश सिर्फ उन मामलों में ही लागू होगा, जिनमें धारा 357 में संशोधन से पहले की सक्षम अधिकारी के समक्ष मुआवजे के लिए क्लेम पेश किया हो और मुआवजे से जुडा कोई केस लंबित हो। अदालत ने मुख्य सचिव और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को कहा है कि वह प्रकरण में उचित कार्रवाई करें। अदालत ने कहा कि नाबालिग पीड़िता के साथ किया गया दुष्कर्म न सिर्फ उसे दी गई शारीरिक यातना है, बल्कि यह अपराध उसे मानसिक तौर पर भी प्रताड़ित करता है।

वर्ष 2006 में पेश इस याचिका में अधिवक्ता नयना सराफ ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता की दो साल की बेटी के साथ 19 जुलाई, 2004 को दुष्कर्म हुआ था। जिसकी रिपोर्ट सोडाला थाने में दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस की ओर से अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में आरोप पत्र पेश किया। जिस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 31 मई, 2005 को अभियुक्त को दस साल की सजा और पांच सौ रुपए का जुर्माना की सजा दी, लेकिन पीडिता को मुआवजे के लिए आदेश नहीं दिया। इस पर याचिकाकर्ता ने जिला कलेक्टर के समक्ष तीन लाख रुपए का मुआवजे के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीडिता को मुख्यमंत्री राहत कोष से सिर्फ दस हजार रुपए दिए गए। मामला लंबित रहने के दौरान सीआरपीसी में संशोधन हुआ और पीडित प्रतिकर स्कीम, 2011

पायलट गुट को नोटिस देने के संबंध में याचिका का किया निस्तारण

जयपुर। हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर की से पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और उनके गुट के तत्कालीन 18 विधायकों को नोटिस देने से जुड़े मामले में दायर याचिका का निस्तारण कर दिया है। एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पीआर मीणा व अन्य की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से याचिका के लंबित रहने के दौरान विधानसभा के चुनाव हो गए हैं। कई याचिकाकर्ता अब विधानसभा के सदस्य भी नहीं रहे हैं। ऐसे में लंबित याचिका सारहीन हो गई है। इसलिए याचिका पर अब आगे सुनवाई की जरूरत नहीं है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं के कथन पर सहमति जताते हुए याचिका को सारहीन बताते हुए निपटारा कर दिया है।

जनवरी में होगी त्रिस्तरीय जनसुनवाई

जयपुर, (का.सं.)। जनभावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं एवं समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान हेतु जनवरी महीने में त्रिस्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि जनसुनवाई में मुख्य सचिव वीसी के माध्यम से जनसुनवाई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

उन्होंने बताया कि माह के प्रथम गुरुवार 4 जनवरी को प्रात: 11 बजे से 2 बजे तक जिले के समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालय अथवा चिन्हित स्थल पर जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिसमें उपखण्ड अधिकारी एवं विकास अधिकारी तथा उपखण्ड स्तर के समस्त विभागों के अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई की जाएगी। वहीं, माह के द्वितीय गुरुवार 11 जनवरी को प्रात: 11 बजे से 2 बजे तक जिले के पंचायत समिति मुख्यालय अथवा उपखण्ड कार्यालय अथवा अथवा चिन्हित स्थल पर जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिसमें उपखण्ड स्तर के समस्त अधिकारियों द्वारा जिला कलक्टर एवं प्रमुख विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के पर्यवेक्षण में उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई की जाएगी। माह के तृतीय गुरुवार 18 जनवरी को प्रात: 11 बजे से 2 बजे तक जिला परिषद सभागार में संभागीय आयुक्त के पर्यवेक्षण में जिला कलक्टर एवं जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा जिला स्तरीय जनसुनवाई की जाएगी।

राज्यपाल कलराज मिश्र से प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने बुधवार को राजभवन पहुंचकर मुलाकात की। राज्य के मुख्य सचिव बनने के बाद पंत की राज्यपाल मिश्र से यह पहली शिष्टाचार भेंट थी। मिश्र ने मुख्य सचिव को बधाई देते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं राज्यपाल से प्रदेश के पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने बुधवार को राजभवन में मुलाकात की। पुलिस महानिदेशक का कार्यभार संभालने के बाद साहू की राज्यपाल से यह पहली शिष्टाचार भेंट थी।

नम्बर मिलाइए 9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

खोया पाया

मेरा असल पासपोर्ट नं. के-3932840 दिनांक 07.12.2023 को करीम नगर, खोनागोरियान में खो गया है। मिलने पर सूचित करें। अनीसा बेगम पत्नी श्री फरीद खान निवासी-बिसात्या वाली ढाणी, खोनागोरियान, जयपुर। मोबाईल- 9314742872

मेरे आवास संख्या 10 सरस्वती नगर ई-।। जयपुर का मूल पट्टा कहीं खो गये है मिलने पर सूचित करें। मो.9414779735

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम अखिलेश कुमार से बदलकर अखिलेश खण्डेलवाल रख लिया है। भविष्य में मुझे अखिलेश खण्डेलवाल पुत्र श्री राजेन्द कुमार के नाम से जाना-पहचाना जावें। निवासी 91-ए, जगदम्बा नगर, हीरापुरा पावर हाउस के पीछे, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान-302021

मैंने मेरा नाम सुषमा कुमारी से बदलकर सुषमा देवी धर्मपत्नी धर्मपाल सिंह रख लिया। भविष्य में मुझे नये नाम से जाना जावें। पता-18, डिफेंस कॉलोनी-2 औरंगाबाद, मथुरा (यू.पी.) पिनकोड-281006 मो. 7419074216

आम सूचना यह कि मेरी अभिभाष्या श्रीमती कमली देवी जाट पत्नी श्री रमेशचन्द व गोपाल चौधरी, रामचन्द चौधरी पुत्र श्री रमेशचन्द, निवासी प्लाट नं. बी-11, शिव वाटिका-ए मांग्यावास, मानसरोवर, जयपुर द्वारा सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या के पति पिछले 15 वर्षो से मेरी अभिभाष्या व उसके पुत्रों के साथ नहीं रहते है व उनके कहने में नहीं है, उनके द्वारा किये गये समस्त कार्यो के लिए जिम्मेदार वे स्वयं है, उसके लिए मेरी अभिभाष्या व उसके पुत्रों का कोई सम्बन्ध नहीं है और ना ही कोई उत्तरदायित्व। सूचित रहें। (विष्णु कुमार यादव) एडवोकेट, मो. 9602400379

आम सूचना दि. 03.01.2024

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्लॉट नंबर 24, गणेश नगर विस्तार, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान, जिसका कुल क्षेत्रफल 206.66 वर्गगज है का पट्टा विलेख दिनांक 13.01.2008 जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्रीमति भूरी देवी पत्नी श्री श्रवण सैनी के हित में जारी किया गया। तत्पश्चात दिनांक 14.06.2022 को श्रीमति भूरी देवी का देहांत हो गया, जिसके चलते श्रीमति भूरी देवी के पति श्रवण लाल सैनी व पुत्र दिनेश सैनी उक्त सम्पती के जरिए उत्तराधिकार स्वामी बन गए। तत्पश्चात श्रवण लाल सैनी द्वारा उक्त सम्पति में अपने सम्पूर्ण हक हिस्से का त्याग एक रजिस्टर्ड हक-त्याग पत्र दिनांक 20.06.2023 के जरिए अपने पुत्र दिनेश सैनी के हक में निष्पादित किया गया। जिसके फलस्वरूप दिनेश सैनी उक्त सम्पति का एकमात्र स्वामी है। मेरी अभिभाष्या नजरीना पत्नी सलामुद्दीन, निवासी- हरसोली रोड, मुण्डावर, जिला अलवर नव सृजित जिला खैरथल, तिजारा, राजस्थान द्वारा श्री दिनेश सैनी पुत्र श्री श्रवण लाल सैनी से उनकी स्वामित्व व आधिपत्य की उपरोक्त वर्णित सम्पति को खरीद करने का इकरार किया है मेरी अभिभाष्या उक्त सम्पति को खरीद करने हेतु एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. में बंधक रखकर ऋण प्राप्त करना चाहती है। यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था आदि को उक्त सम्पति के खरीद/ बंधक से किसी भी प्रकार का कोई ऐतराज हो तो 15 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता से लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सम्पर्क करे, बाद गुजरने मियाद किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी। भवदीय (रामेश्वर सिंह राठौड़) एडवोकेट मो.नं. 9829256466

कार्यालय तहसीलदार तहसील सांगानेर, जयपुर

क्रमांक-रीडर/23/381 दिनांक- 28.12.2023

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। ग्राम सांगानेर पटवार हल्का सांगानेर के नया खाता संख्या 1382 के खसरा नंबर 3913 रकबा 0.10 है० में हिस्सा 1/3 की खातेदारी मोहनीबाई पत्नि लोथूमल तथा श्री लीलाधर पुत्र बालचन्द जाति खत्री प्रत्येक के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खातेदार मोहनीबाई पत्नि लाथूमल , श्री लीलाधर पुत्र बालचन्द जाति खत्री की मृत्यु के पश्चात वसीयत के आधार पर प्रार्थी अशोक खत्री पुत्र स्व. श्री डालूमल जाति खत्री ने नामान्तकरण खोलने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः उक्त खसरा नम्बरों के संबंध में व वसीयत के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के सात दिवस के भीतर अपनी आपत्ति मय दस्तावेज के इस कार्यालय में कार्यालय समय में प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर वसीयतग्रहिता के समस्त वारिसान के पक्ष में नामांतकरण की कार्यवाही नियमानुसार कर दी जावेगी। तहसीलदार तहसील-सांगानेर (जयपुर)

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त वर्णित प्लाट नम्बर-52 आवासीय स्कीम-लक्ष्मी नगर बगराना, आगरा रोड, जयपुर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 50.00 वर्गगज जो कि आवंटन पत्र, रसीद व साईट प्लान सूरजपोल गेट गृह विकास सहकारी समिति लिमिटेड के द्वारा सर्वप्रथम मंजूर अहमद पुत्र रमजान खान को आवंटित किया हुआ है जो कि मेरे अभिभाष्या श्री ललित मोहन पुत्र श्री मुरारी लाल के द्वारा मूल आवंटन पत्र, रसीद व साईट प्लान, माली की कोठी आगरा रोड जयपुर के आस-पास कहीं जाते वक्त कहीं गीर गए जिनकी गुमशुदगी की सूचना मेरे अभिभाष्या के द्वारा नजदीकी पुलिस थाना कानोता, जयपुर में कर दी गई है जो कि मेरे अभिभाष्या श्री ललित मोहन पुत्र श्री मुरारी लाल को भविष्य में कभी भी उक्त मूल आवंटन पत्र, रसीद व साईट प्लान प्राप्त होने पर मूल दस्तावेज का दुरूपयोग नहीं किया जायेगा तथा मेरे अभिभाष्या द्वारा आधार हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड से गृह ऋण ले रहे है मूल दस्तावेज होने पर उनके द्वारा आधार हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड में जमा करा दिये जायेंगे तथा उक्त ऋण बाबत किसी भी व्यक्ति/संस्था/बैंक या अन्य किसी भी पक्ष को किसी प्रकार की आपत्ति या आक्षेप हो तो निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता को अन्दर मियाद 7 दिवस में मय दस्तावेजों साक्ष्य सहित सम्पर्क करें अन्यथा बाद गुजरने मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति विधि अनुसार शून्य मानी जावेगी सुरेश चन्द शर्मा, एडवोकेट, मो. 9214318413 एडी/7-ए, देवी मार्ग, बनीपार्क जयपुर-302016

आम सूचना सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण रघुवीर सिंह रावत पुत्र स्व. गोविन्द सिंह रावत व श्रीमती मुन्नी रावत पत्नि श्री रघुवीर सिंह रावत निवासीयान प्लाट नम्बर 37 श्रीरामपुरी, निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर का पुत्र अंकित रावत व उसकी पत्नि श्रीमती अंकिता रावत मेरे अभिभाष्गण के कहने में नहीं है व उनका व्यवहार मेरे अभिभाष्यगण के प्रति अपेक्षित है। मेरे भिभाष्यगण ने अंकित रावत व अंकिता रावत को अपनी चल व अचल सम्पति जीवन संव्यवहार से बेदखल कर दिया है। अंकित रावत व अंकिता रावत से कोई व्यक्ति लेन-देन संव्यवहार करता है या किया है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। सीमा शर्मा, एडवोकेट, मो.नं. 7740854178

सूचना

(क) आप सभी को सूचित किया जाता है कि 10 वीं बटालियन जम्मू और कश्मीर राईफल्स जो कि आर्मी कैंट जयपुर में स्थित है, के पास एक रेजिमेंटल दुकान है (वेट कैंटीन और टेलर शॉप) नीति के अनुसार यह दुकानें केवल राजस्थान राज्य की वीर नारी, विधवाओं, विकलांग भूतपूर्व सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिकों को नीचे सूचीबद्ध प्राथमिकता के अनुसार आवंटित किया जाएगा।

(i) युद्ध विधवाएं/ ड्यूटी के दौरान शहीद हुए रक्षा कर्मियों की विधवाएं।
(ii) विकलांग सैनिक
(iii) भूतपूर्व सैनिक
(iv) नागरिक जिसके पति, पत्नी या परिवार का आश्रित सदस्य की किसी भी परिसर, सैन्य स्टेशन, छावनी में कोई दुकान नहीं है।

(ख) वेट कैंटीन एवं टेलर शॉप की सुरक्षा शुल्क 1 लाख रूपये दुकान आवंटन के समय जमा किया जायेगा।

(ग) जो भी व्यक्ति वेट कैंटीन और टेलर शॉप के लिए आवेदन करना चाहता है। वह 08 जनवरी 2024 से पहले अपना आवेदन टेंडर, टेंडर बॉक्स जो कि युनिट के RP Gate पर रखा है।

उत्तर पश्चिम रेलवे G20

खुली ई-निविदा सूचना

मण्डल रेल प्रबन्धक (बिजली) जयपुर द्वारा, भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है। (1) एनआईटी संख्या: ईएल/जेपी/43/2023-24 कार्य का नाम: Modification in LHB power car and LHB AC/Non AC coaches under Bulk RSP program 2022-23 अनुमानित लागत: ₹ 624600/- बयाना राशि: ₹12500/- निविदा खोलने की तिथि: 25.01.2024 (2) एनआईटी संख्या: ईएल/जेपी/एबीएसएस-3 आर (द्वितीय)/2023-24 कार्य का नाम: Electrical work in connection with Upgradation/ Improvement of Rewari Station of Jaipur Division under Amrit Bharat Station Scheme. (Provision of escalators on Railway Platform) (with CAMC of Escalators for Five years after warranty period) अनुमानित लागत: ₹24822592/- बयाना राशि: ₹274100/- निविदा खोलने की तिथि: 25.01.2024. नोट: ई-निविदा की अंतिम तिथि एवं समय: निविदा खोलने की तिथि को 15.00 बजे तक ई-निविदा खोलने की तिथि एवं समय: निविदा खोलने की तिथि को 15.00 बजे के बाद सम्पूर्ण जानकारी के लिए वेबसाइट का पता: http://www.ireps.gov.in 03-DP/24

हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

कार्यालय निर्वाचन अधिकारी, अरिहन्त क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लि. जयपुर

कार्यालय- 11A, चन्द्रकला कॉलोनी दुर्गापुरा पानी की टंकी दुर्गापुरा जयपुर-302018

क्रमांक: **निर्वाचन सूचना** दिनांक: 03.01.2024

कार्यालय राजस्थान राज्य सहकोरी निर्वाचन प्राधिकरण के आदेश क्रमांक फा. 3(1) रा.रा. सह. निर्वा. प्राधि./जयपुर खण्ड/बचत एवं साख/2020/6114-21 दिनांक 22.12.2023 को अधोहस्ताक्षरकर्ता को अरिहन्त क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लि. जयपुर की प्रबंधकारणी के निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। निर्वाचन प्रक्रिया दिनांक 03.01.2024 को प्रस्तावित मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ प्रारंभ हो गयी है। विस्तृत कार्यक्रम समिति कार्यालय पर चस्पा कर दिया गया है।जिसका अवलोकन किसी भी कार्य दिवस पर किया जा सकता है। अत: सूचित रहे।

निर्वाचन अधिकारी
अरिहन्त क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लि. जयपुर

कार्यालय निर्वाचन अधिकारी
धनश्री क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लि. जयपुर

प्लाट नं. 31, प्रथम तल, श्रीराम नगर विस्तार, 100 फीट रोड, झोटवाड़ा, जयपुर

निर्वाचन की सूचना नियम 45 (7)

क्रमांक:- निर्वा.अ./ध.क्रे.को.सो./ 2024/01 निर्वाचन सूचना दिनांक: 03.01.2024

श्रीमान राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी के आदेश क्रमांक फा.3(1) रा.रा.सह.निर्वा.प्राधि/जयपुर खण्ड/बचत व साख/2020/ 6113 दिनांक 22.12.2023 द्वारा निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किये जाने की अनुपालना में मैं सत्यवीर सिंह, निर्वाचन अधिकारी राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001, नियम 2003 एवं उक्त समिति के अद्यतन संशोधित पंजीकृत उपनियम एवं राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन हेतु जारी निर्देशों के अनुरूप समिति के संचालक मण्डल 12 सदस्यों एवं पदाधिकारियों के निर्वाचन हेतु समिति के सभी सदस्यों/ मतदाताओं को सूचित करता हूँ कि निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रमानुसार धनश्री क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लि. जयपुर की निर्वाचन प्रक्रिया दिनांक 03.01.2024 से प्रारम्भ की जा रही है। समिति का निर्वाचन दिनांक 22.01.2024 को प्रातः 10:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक स्थान समिति कार्यालय, जयपुर पर होगा। कोई सदस्य निर्वाचन से संबंधित कोई जानकारी चाहे तो श्री शंकर लाल (मो. 9772353770) से प्राप्त कर सकते है। हस्ताक्षर: (सत्यवीर सिंह)

निर्वाचन अधिकारी निरीक्षण IDO अनुभाग, आरसीडीएफ, जयपुर।

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 308/23 विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी नाम प्रकाश देवी पारीक पत्नी स्व. श्री नृसिंहलाल पारीक विवाद स्थान डी-29, हरिनगर शास्त्री नगर, जयपुर

मृतक लाकर नं. 121, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शास्त्री नगर, जयपुर की सम्पत्ति के विषय में।

पेशी दिनांक- 08.01.2024

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम नृसिंहलाल पारीक पुत्री श्री किशन सहाय जाति पारीक निवासी डी-29, हरिनगर, शास्त्री नगर, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रिेशन, प्रदान किया जावें।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 08 माह 01 सन् 2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 05 माह 12 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

मोहर अदालत

आज्ञा से-वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैशन न्यायालय
जयपुर महानगर-द्वितीय